

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 7

दिनांक:- 13.5.2011

वार :- शुक्रवार

समय:- दोपहर:- 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 13.5.2011 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य	9. श्री चतर सिंह जी	सहायक अभियंता
2. श्री मुहम्मद खलील	सदस्य	10. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
3. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य	11. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर
4. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य		
5. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य		
6. श्री बी.एम. असावा	आयुक्त एवं सदस्य सचिव		
7. श्री राजेश वर्मा	उपनगर नियोजक		
8. श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता		

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 24.2.11 की बैठक संख्या 6 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि में लिपिकिय त्रुटि वश क्रम संख्या 36 तथा क्रम संख्या 46 पर पत्रावली संख्या भ.अ/81/09-10 भूखंड संख्या 1084 हिरण मगरी से नं. 4 श्री संदीप डागरीया की पत्रावली पर दो अलग - अलग निर्णय होने से निर्णय कमेटी द्वारा स्थगित करते हुए आगामी बैठक में पुनः रखने की अनुशंसा करते हुए शेष निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्व समिति से की जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्रम संख्या	भूखंड संख्या नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	214, अशोकनगर, श्रीमति सुंदर बाई	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रतन लाल वोहरा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास से भूतल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया। प्रार्थी नामान्तरण कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बिना स्वीकृति के फस्ट फ्लोर का निर्माण किया गया जिसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।
2.	12, दैत्य मगरी श्री सुरेश गमेती, टमु बाई	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रूप लाल व दीप लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान से प्राप्त किया है प्रार्थी को नगर विकास प्रन्यास द्वारा पूर्व में भूतल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया है। पीछे की तरफ अतिरिक्त भूमि भूखंड में शामिल है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं 94 वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि को भूखंड में शामिल मिला लिया गया उसकी राशि आरक्षित दर की दुगुनी राशि ली जाकर नियमन किया जावे। मामला अतिरिक्त भूमि का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाया जावे।

3.	431, भुपालपुरा श्री गुरुप्रीत सोनी, सोनिया सोनी, जोगिन्दर सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री तखत सिंह मेहता के नाम के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है प्रार्थी ने मौके पर भूतल + तीन मंजिल तक भवन का निर्माण कर रखा है एवं सेट बेक में भी निर्माण किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा समयाभाव के कारण मौका नहीं देखा गया बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि समिति को मौका दिखा कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
4.	66, अलीपुरा श्री राजेश नायर पिता मुरलीधर	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री बशारत खां/ फ़ैयाज हुसैन खां के नाम के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है प्रार्थी के भवन की पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूतल + एक मंजिल आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध संपूर्ण सेट बेक को भवन में शामिल मिला लिया गया है। मौके पर भूतल + एक मंजिल का निर्माण किया हुआ है व रास्ते की ओर 2'-0" निकासु रोस भी बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने रास्ते की ओर जो निकासु रोस रास्ते की ओर बनाया है उसे गिराकर उसके फोटो प्रस्तुत होने पर पत्रावली आगामी बैठक में रखी जावे।
5.	70 ओ टी सी श्री प्यार चंद कुदाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के लीज डीड हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास की स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक में दुकान बना रखी है एवं अन्य सेट बेक मे भी निर्माण कर रखा है। प्रकरण झील निषेध के अन्तर्गत है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण झील निर्माण निषेध क्षेत्र में होने से राज्य सरकार द्वारा झील निर्माण निषेध क्षेत्र के प्रकरणों पर विचार हेतू गठित Rarest of the rare कमेटी में प्रकरण रखा जावे।

6.	2, शास्त्री सर्कल श्री हुक्मीचंद पिता धन्ना जी तेली	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री धन्ना पिता सवा तेली के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के भूतल + तीन मंजिल तक निर्माण किया गया व भूतल में दो दुकाने बना रखी है व रास्ते की ओर निकासु भी निकाल रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के भूतल + तीन मंजिल बनाया गया है एवं उक्त क्षेत्र की निर्धारित टाईप डिजाईन से भी अधिक क्षेत्र में दुकाने आदि बना रखी है। अतः प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है।
7.	1, रेजीडेंसी श्री महेन्द्र कुमार सेठ, श्री भंवर लाल सेठ	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के उपविभाजन व नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री फतेह लाल सेठ के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान से प्राप्त किया है प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया है। एवं एक कमरा फ्रन्ट में जीरो सेट बेक तक बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम प्रार्थी ने जो फ्रन्ट में जीरो सेट बेक पर कमरा बनाया उसे गिराकर फोटो देवें। उसके बाद आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।
8.	36, हाथीपोल (शॉप) मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सलाम	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मोहम्मद अली/इब्राहिम जी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भूतल में दुकान बनाई गई है। जिसकी पूर्व में कोई स्वीकृति नगर विकास प्रन्यास से नहीं ली गई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो बिना स्वीकृति के भूतल में दुकान बनाई गई हैं उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से राशि ली जावे एवं निकासु की राशि नियमानुसार आरक्षित दर से लेते हुए प्रकरण को नियमन किया जाता है।

9.	57, भुपालपुरा श्री सुभाष चन्द्र पाठक, कमला देवी, स्व. ब्रज मोहन पाठक, मंजु देवी, पत्नी स्व. ओम प्रकाश पाठक	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महेश चन्द्र पाठक के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान से प्राप्त किया है प्रार्थी ने मौके पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा दी गई स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया है। परंतु पत्रावली अनुसार उक्त प्रकरण में उजरदारी प्राप्त हुई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी एवं उजरदार दोनो को मय दस्तावेज के आगामी बैठक में सुने जाने हेतु बुलाया जावे।
10.	244, भुपालपुरा श्री शिवनारायण जी माली	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गिरवर लाल माली के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड निष्ठापत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने मौके पर पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं सामने के सेट बेक में खुला बरामदा बना रखा है । बिना स्वीकृति के भी भवन बना हुआ है । फ्रन्ट सेट बेक सहित आंशिक भाग का नियमन पूर्व में किया जा चुका है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में किये गये नियमन के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बिना स्वीकृति के जो निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाते हुए नियमन किया जावे। प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे कि जो सेट बेक में निर्माण किया है। उसके ऊपर किसी तरह का निर्माण भविष्य में नहीं करे।
11.	19, खानपुर कोलोनी, श्री सुदामामल एवं जयपालदास	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मगनमल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है प्रार्थी ने मौके पर नगर विकास प्रन्यास की स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक मे बाथरूम बना रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सामने के सेट बेक में बाथरूम बनाया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर नियमन किया जावे।

12.	346, भुपालपुरा श्री बलवंत सिंह बोर्दिया	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। पूर्व में भवन अनुमति समिति की बैठक में निर्णय हो चुका है। अनुमोदन किया जाना है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अंबा लाल/मीठा लाल बोर्दिया के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत व दान पत्र से प्राप्त किया है प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूतल + एक मंजिल की स्वीकृति दी गई थी प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया ।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास की स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।
13.	188, अशोक नगर, श्रीमती कमला व्यास पति श्री दुर्गा शंकर	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अनोप देवी पति श्री भंवर लाल जोशी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है प्रार्थी ने पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूतल निर्माण की स्वीकृति सेट बेक छोड़कर ली गई थी प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया एवं प्रथम तल में भी एक कमरों का निर्माण किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं प्रथम तल में जो कमरा बनाया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए नियमन किया जावे।
14.	17, आयड विस्तार योजना अशोक नगर, श्री अजयपाल सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रतन लाल/चांदमल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय बिलेख से प्राप्त किया है प्रार्थी ने मौके पर बिना स्वीकृति के भूतल + दो मंजिल वाणिज्यिक भवन का बंद निकासु के निर्माण किया गया है। जबकि उक्त क्षेत्र की टाईप डिजाईन भूतल की ही है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भूतल + दो मंजिल बंद निकासु के वाणिज्यिक भवन बना रखा है जो कि स्वीकृत टाईप डिजाईन के विपरित है। अतः प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

15.	474 भोपालपुरा, श्री कमलेश नारवानी, श्री महेश नारवानी, श्री दमोदर नारवानी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री हिम्मत सिंह पिता मोहन लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है प्रार्थी को नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूतल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक को शामिल मिलाते हुए भूतल एवं प्रथम तल में निर्माण किया गया। प्रार्थी ने प्रथम तल बिना स्वीकृति के बनाया गया एवं पीछे की तरफ कुछ अतिरिक्त भूमि पर सिढी आदि का निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पीछे की तरफ अतिरिक्त भूमि पर जो सिढी आदि बना रखी है। उसे हटाकर फोटो प्रस्तुत करने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
16.	41 आयड स्कीम, अशोक नगर श्री भीमसिंह चूंडावत	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमती गणेशी/भेरूमल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है मौके पर प्रार्थी के भवन के सामने 20'-0" से 25'-0" तक सडक छुटी हुई है एवं दिनांक 1.4.88 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा उपविभाजन स्वीकृत किया गया जिसमें 30'-0" चौडी सडक दिखाई गई है। प्रार्थी द्वारा भूखंड में सेट बेक विरुद्ध किये गये निर्माण को स्वीकृति पूर्व गिराने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के यू आई टी द्वारा भूखंड बाबत स्वीकृत उपविभाजन प्लान के अनुसार प्रार्थी के भूखंड का माप रखते हुए अतिरिक्त भूमि पर बनी बाउण्ड्री को हटाकर फोटो प्रस्तुत करने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

17.	744 हिरण मगरी से. 3 गोपाल लाल सुथार	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री गौतम लाल वया के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार सेटबेक में भी निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भू तल, प्रथम एवं द्वितीय तल मय निकासु के बिना सेटबेक छोडे एवं बिना स्वीकृति के निर्माण कर लिया है जिसका नियमानुसार नियमन नहीं किया जा सकता है अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है।
18.	49 हिरण मगरी से. 3 महेन्द्र कुमार तलेसरा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 को आयोजित समझौता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी को सेटबेक में किये निर्माण को गिराकर फोटो प्रस्तुत करने कर निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में प्रार्थी ने उक्त क्षेत्र का भी नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिनांक 25.11.2010 को समिती द्वारा जो निर्णय लिया गया उसे यथावत रखा जावे तथा प्रार्थी को 3 माह का समय देते हुए पत्र लिखा जावे कि जो सेटबेक में निर्माण किया गया है उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करे अन्यथा आपका प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा।
19.	86 हिरण मगरी से. 3 रमेश भाई पटेल	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 को आयोजित समझौता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी को फ्रन्ट सेटबेक में किये निर्माण को गिराकर फोटो प्रस्तुत करने कर निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में प्रार्थी ने फ्रन्ट सेटबेक के निर्माण को गिराकर शेष बचे क्षेत्र का नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेटबेक में किये गये निर्माण को हटाने के पश्चात शेष बचे सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

20.	59 हिरण मगरी से. 3 प्रमोद कुमार झा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 15.02.2011 को आयोजित समझोता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी को फ्रन्ट सेटबेक मे किये गये निर्माण को गिराकर फोटो प्रस्तुत करने कर निर्णय लिया गया था जिसके क्रम मे प्रार्थी ने फ्रन्ट सेटबेक के निर्माण मे से आंशिक भाग को गिराकर शेष बचे क्षेत्र का नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
21.	280 हिरण मगरी से. 3 चन्दा देवी जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान मे श्री कमरूद्धीन के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण,लीज डीड जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
22.	135 हिरण मगरी से. 4 निर्मला देवी ,साधना देवी रत्नावत	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान मे श्रीमति मधु माथुर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने आगे,पीछे तथा साइड सेटबेक मे सम्पूर्ण क्षेत्र मे निर्माण कर रखा है जिसका नियमन नही किया जा सकता है अतः प्रकरण निरस्त कर दिया जावे।

23.	129 हिरण मगरी से. 4 प्रदीप कुमार जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्रीमति कान्ता शर्मा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
24.	128 हिरण मगरी से. 4 कमला देवी जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री मोहन लाल शर्मा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भू तल की निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
25.	1027 हिरण मगरी से. 4 भंवर लाल खत्री	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री रोशन लाल सालवी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण,लीज डीड जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे

26.	973 हिरण मगरी से. 4 मनीषा बम्ब	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री माधव सिंह गौड़ के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे ।
27.	907 हिरण मगरी से. 4 रमेश चन्द्र चतुर्वेदी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्रीमति कुसुम चतुर्वेदी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को दान पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा तलघर में बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे ।
28.	319 हिरण मगरी से. 4 विजय कुमार धोबी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री मोहन लाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को गिफ्ट डीड (बक्षीश नामा) से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण,लीज डीड जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट सेटबेक में जो निर्माण कर रखा है उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करने पर शेष सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे ।

29.	320 हिरण मगरी से. 4 श्रीमति मीना नवलखा एवं निर्मला चौहान	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री शंकर लाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण,लीज डीड जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट सेटबेक में जो निर्माण कर रखा है उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करने पर शेष सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे ।
30.	53 हिरण मगरी से. 5 विनोदिनी मेहता	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 24.02.2011 को आयोजित समझोता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी को गैराज वाले भाग को सेटबेक सीमा तक किये निर्माण को गिराकर फोटो प्रस्तुत करने कर निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में प्रार्थी ने गैराज वाले भाग का भी नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिनांक 24.02.2011 को समिती द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थी को गैराज वाले भाग को सेटबेक सीमा तक हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु पुनः पत्र लिखा जावे।
31.	328 हिरण मगरी से. 6 ख्याली देवी तेली	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्री भंवर लाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को रिलीज डीड से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट सेटबेक एवं बैक सेटबेक में शत प्रतिशत निर्माण कर रखा है तथा भू तल स्वीकृति के विपरित दो मंजिल का अतिरिक्त निर्माण कर रखा है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है।

32.	170 हिरण मगरी से. 6 श्रीमति जय कुंवर	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान में श्रीमति पद्मिनी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है एवं सड़क की 1'4" भूमि पर <u>निर्माण/अतिक्रमण</u> कर रखा है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण एवं अतिरिक्त भूमि का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर निर्माण/ अतिक्रमण कर रखा है अतः प्रकरण को निरस्त करते हुए अतिक्रमण शाखा में अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।
33.	31 हिरण मगरी से. 11 विजेता शर्मा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 को आयोजित समझोता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रथम मंजिल बिना स्वीकृति एवं टाइप डिजाइन के विरुद्ध निर्मित की है तथा सड़क पर भी निकासु निकाल रखा है अतः प्रकरण को निरस्त किया गया है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा समयाभाव के कारण स्थल निरिक्षण नहीं किया गया अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिती को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।
34.	100 रेती स्टेण्ड श्रीमति इन्दिरा देवी	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 15.02.2011 को आयोजित समझोता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा सेटबेक में किये गये प्रोजेक्शन का हटाकर वर्तमान स्थिति का नक्शा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया प्रार्थी द्वारा प्रोजेक्शन हटाकर वर्तमान स्थिति का नक्शा प्रस्तुत किया एवं शेष भाग का नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे

35.	33 गेलडा कॉलोनी श्रीमति रचना रोत	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 15.02.2011 को आयोजित समझौता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेटबेक मे किये गये निर्माण को हटाकर 15 दिन मे फोटो प्रस्तुत करे प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सेटबेक के निर्माण को हटाने से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो जाएगा अतः सेटबेक निर्माण का नियमन कराना चाहा है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 15.02.2011 को समिती द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जावे ।
36.	43 कुम्हारो का भट्टा कैलाश चन्द्र एवं दुर्गा देवी नागदा	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है उक्त भूखण्ड के वर्तमान मे श्री नाथुलाल गुजर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण,लीज डीड जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा पीछे के सेटबेक मे सम्पूर्ण क्षेत्र मे निर्माण कर रखा है अतः प्रार्थी को सेटबेक मे किये गये निर्माण को हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे
37.	316 ए किशनपोल पुरुषोत्तम हरिजन	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 15.02.2011 को आयोजित समझौता समिती के निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेटबेक मे किये गये प्रोजेक्शन का हटाकर 15 दिन मे फोटो प्रस्तुत करे प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त क्षेत्र का नियमन चाहा है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा समयाभाव के कारण स्थल निरिक्षण नहीं किया गया अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण मे समिती को मौका दिखाकर आगामी बैठक मे रखा जावे ।
38.	97 हिरण मगरी से नं. 11 श्रीमति दिपीका कोठारी एवं अन्य	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति प्राप्त नहीं हुई हैं वर्तमान में परिषद् रिकार्ड अनुसार उक्त भूखंड की श्री नरेश कोठारी, मुकेश कोठारी एवं अन्य के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की हुई हैं सर्वेयर रिपोर्ट अनुसार स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति के विपरित निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति लागत की 5% से वसूल करते हुए नियमन किया जावे

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

दिनांक:-

क्रमांक:- नपउ/भ.वि/10-11/

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर ।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य ।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर ।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर ।
8.शाखा प्रभारी ।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर ।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

